





# द्वारायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट  
रहमू बनाम साहबदीन व अन्य प्रतीवादी गण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2021	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.03.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण/प्रतीवादी वर्णित आराजी खसरा संख्या 386/0.2700 है० में मिन वादी का 1/9 भाग, 385/0.2400 है० में मिन वादी का 1/9 भाग, 383/0.1800 है०, 384/0.1800 है०, 387/0.2800 है०, 388/0.2500 है०, 389/0.0900 है०, 393/0.4200 है०, 394/0.4500 है० किता 7 रकबा 1.8500 है० में मिन वादी का 1/3 भाग वाके ग्राम थानाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान मे रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।</p> <p>तथा क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपत्ति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, वकील प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी. तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 09.03.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास(अलवर)</p> <p>१३/३/२१ पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब <i>व्यक्तिगत कार्य स्थान</i> अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं। उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक ५/५/२१ को पेश हो।  रीडर</p>	

१५/३/२१ पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब *प्रतीवादी*  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक १३/५/२१  
को पेश हो।  
  
रीडर

१३/३/२१ पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब *प्रतीवादी*  
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।  
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक १०/४/२१  
को पेश हो।  
  
रीडर

10/8/21... पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
 अन्व कार्य में व्यस्त हैं/बन्द पकड़े हैं।  
 अग्रपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 5/10/21  
 को पेश हो।

रीडर

5-10-21 वकील प्रार्थी डण्डा। पी.ओ. साहब अन्व कार्य  
 में व्यस्त हैं अग्रपक्ष दिनांक 5-10-21 को पेश  
 हो।

8-11-21 वकील प्रार्थी डण्डा। मिसल वस्तु तबकी दिनांक  
 6-12-21 को पेश हो।

6-12-21 आज पत्रावली प्राप्त जहाँ से सग मन्वियत में गण  
 पण मुख्य अग्रपक्ष पेश हुई। निर्णय नहीं हो सका  
 दिनांक 25-1-22 को पेश हो।

25-1-22 वकील प्रार्थी डण्डा। मिसल वस्तु तबकी दिनांक 23-3-22  
 को पेश हो।

Note present  
 [Signature]

23-3-22 वकील प्रार्थी [Signature] ने वद नोट प्रेस में दावा  
 खातिज कर। लिखा है अग्र-प्रार्थना पर भी  
 नोट प्रेस में खातिज किया जाता है।  
 प्रार्थना पर फिलहाल सुधार होकर बलवन्त  
 हुलवा है।